बलात्कार रोधी विधेयक: प्रमुख बिंदु

➢ हाल ही में लागू अध्यादेश में जहां स्त्री-पुरूष दोनों को बलात्कार के दायरे में शामिल किया गया था इसके उलट विधेयक में **बलात्कार को स्त्रियों के प्रति पुरूष द्वारा किए गए अपराध की संज्ञा** दी गई है।	➢ **उत्पीड़न की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है।**	**वर्मा समिति की रिपोर्ट के आधार पर शामिल नए अपराध**
		➢ यौन उत्पीड़न में तीन वर्ष तक की कैद का प्रावधान
		➢ पीछा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा जिसमें पांच वर्ष तक की कैद का प्रावधान
➢ सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार **सहमति की आयु 18 वर्ष** रखी गई है।	➢ वर्मा समिति द्वारा प्रस्तावित “आजीवन कारावास” की सजा से आगे बढ़ते हुए विधेयक में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता की इस **दुष्कर्म के कारण मृत्यु अथवा मृतप्राय अवस्था में पहुचंने पर मृत्युदंड का प्रस्ताव** है।	➢ बुरी नीयत से देखना दंड के दायरे में होगा, जिसमें तीन वर्ष तक की कैद हो सकती है और दोबारा ऐसा करने पर सजा सात वर्ष तक की हो सकती है।
➢ हालांकि विधेयक में वैवाहिक बलात्कार की अधिकतम आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष किया गया लेकिन विधेयक में इसे **15 वर्ष की मौजूदा सीमा** ही रखा गया है।		➢ सार्वजनिक रूप से महिला को निर्वस्त्र करना दंडनीय होगा, जिसमें अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
	यौन अपराधों में लिप्त होने पर पकड़े जाने की स्थिति में सैनिकों सहित सरकारी सेवकों पर अभियोग के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी	➢ तेजाब फेंकने पर उम्र कैद हो सकती है।
		➢ मानव व्यापार दंडनीय होगा, जिसमें उम्र कैद का प्रावधान है, विशेषकर यदि दोषी सरकारी सेवक हो।